

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज आभभाषक सघ द्वारा काय स्थगित रखा :
भक्तपूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 20/1/25 को प्रस्तुत :

न्यायालय की आज्ञा से
रीडर
जिला कलक्टर अनूपगढ़

13/25 आज यह पत्रावली गरीब जाली उपलब्ध होने पर पेशी में ही गरीब पूर्व आदेशों की पालना में धारिणा दिनांक 23/4/25 को पेश होना

14/25 पत्रावली उपलब्ध मूल बाद ना रिक्ता होने के कारण ज्ञां पत्र 212 R TA जोपिरीन है। अतः इस रिक्ती में ज्ञां पत्र 212 R TA स्नारिज किया गया है। पत्रावली निम्नानुसार परिवल स्वतः होना एवं नक्का से वम हो

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

